राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1.अपील संख्या – 599/2013/जयपुर.
2.अपील संख्या – 600/2013/जयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राज, वृत–द्वितीय, जयपुर. .....राजस्व.

बनाम

मैसर्स भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड,
एम.आई.डी.सी. इण्डस्ट्रीयल, तलोजा, नवीं, मुम्बई. .....अपीलार्थी.

खण्डपीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....राजस्व की ओर से.
अनुपस्थित .....अपीलार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 5/10/2017

निर्णय

राजस्व द्वारा यह अपीलें उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 26, 55, 56 एवं 61 के अन्तर्गत अपील संख्या 163/अपील्स–I/आरवीएटी/जयपुर/2012–13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 19.09.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 11.05.2011 एवं 17.05.2011 को आंशिक स्वीकार किया गया था।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा पुलिस विभाग, राजस्थान को कुछ सुरक्षा उपकरणों की आपूर्ति की गई थी, जो विदेश से आयात कर सीधे पुलिस विभाग को विक्रय किये जाने से केन्द्रीय अधिनियम की धारा 5(2)के तहत करमुक्त बताया गया था, परन्तु कर निधार्रण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के विक्रय को राज्य के भीतर का विक्रय मानकर करारोपण किया गया अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति भी आरोपित की गई इसके अलावा प्रत्यर्थी व्यवहारी अपंजीकृत होने से पंजीयन दायित्व देते हुये वैट अधिनियम की धारा 56 के तहत शास्ति भी आरोपित की गई। उक्त दोनों आदेशों के विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनः जांच कर आदेश पारित करने के निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था।

अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रतिप्रेषित प्रकरण के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः आदेश दिनांक 16.10.2014 पारित किये जा चुके है, परन्तु अपीलीय आदेश में शास्ति को अपास्त किये जाने में भूल की गई है। अतः उस सीमा तक अपीलीय आदेश को अपास्त करने का अनुरोध किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

लगातार.....2

विभाग की एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं कर निर्धारण व अपीलीय आदेशों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माल की आपूर्ति विदेश से माल आयात कर परिवहन के दौरान भारत में माल प्राप्त होने से पूर्व विक्रय किये जाने का बिन्दु निहित था जिस पर उचित जांच किये बिना कर निर्धारण आदेश पारित किया गया। ऐसी स्थिति में प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने के साथ शास्ति को अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की है क्योंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय संव्यवहारों को छिपाया नहीं गया था, अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय मैसर्स श्री कृष्णा इलेक्ट्रिक्लस बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू 23 VST Page 249 के आलोक में अपीलीय आदेश उचित है। अतः इस बिन्दू पर अपील अस्वीकार की जाती है।

इसके अलावा अन्य अपील संख्या 599/2013/जयपुर के मामले में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः आदेश पारित किया जा चुका है।

~~है।~~ अतः यह अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। उक्तानुसार दोनों अपीलें खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(के.एल.जैन)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष